प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 08.08.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 08.08.2025 को निम्न अभियोग मे सजा करायी गयी है ।

1. थाना भरथना

इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000 /- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भरथना, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.04.2017 को वादी कृष्णबहादुर पुत्र हेत सिंह निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा थाना अजीतमल जनपद औरैया ने अभियुक्तगणों द्वारा वादी की पुत्री के साथ मारपीट करना व प्रताडित करना व अतिरिक्त दहेज की मांग करना व मांग पूरी ना होने पर जान से मार देने के संबंध मे थाना भरथना पर तहरीर दी । जिसके आधार पर थाना भरथना पर **मु0अ0सं0-312/2017 धारा 323/147/498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट** पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 जितेन्द्र एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप **मा0 न्याया0 एडीजे/एफटीसी-01/, इटावा द्वारा अभियुक्त गजेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह को अन्तर्गत धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 4000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **गजेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह नि0 आलमपुर विबौली थाना भरथना जनपद इटावा ।**